



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4208]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4208]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4710(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ तिरेपनवां संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

- भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,

(क) प्रथम अनुसूची में, "9. रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, विद्यमान उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

- रक्षा विभाग
- सैन्य कार्य विभाग
- रक्षा उत्पादन विभाग
- रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
- पूर्व सेनानी कल्याण विभाग";

(ख) द्वितीय अनुसूची में, "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

(क) "क. रक्षा विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, -

- प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा नीति और रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सार्थक रूप से सैन्य-वियोजन में सहायक हों।";

- (ii) प्रविष्टियों 2, 3, 5 और 7 का लोप किया जाएगा;
- (iii) प्रविष्टि 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -
“19. अनन्य रूप से रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत अर्जन”;
- (iv) प्रविष्टि 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -
“21. रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य कोई संगठन, जिसका कार्यक्षेत्र सैन्य मामलों से व्यापक है।”;
- (ख) “क. रक्षा विभाग” उप-शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“कक. सैन्य कार्य विभाग

1. संघ के सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना।
2. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय, जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय हैं।
3. प्रादेशिक थलसेना।
4. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
5. प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनन्य रूप से सेवाओं के लिए उपापन, जिसमें पूंजीगत अर्जन सम्मिलित नहीं है।
6. सेवाओं के लिए उपापन, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में, इनकी आवश्यकताओं की संयुक्त योजना और एकीकरण के माध्यम से संयुक्तता की अभिवृद्धि करना।
7. संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए, संयुक्त / थिएटर कमांड को स्थापित करने सहित प्रचालनों में संयुक्तता लाते हुये, सैन्य कमांड की पुनःसंरचना को सुगमता प्रदान करना।
8. सेवाओं द्वारा स्वदेशी उपस्करों के उपयोग की अभिवृद्धि करना।”.

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/17/2019-मंत्रि.]

रचना शाह, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4710(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Third Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
(A) in THE FIRST SCHEDULE, under the heading “9. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)”, for the existing sub-headings, the following sub-headings shall be substituted, namely, -
“(i) Department of Defence (Raksha Vibhag)
(ii) Department of Military Affairs (Sainya Karya Vibhag)

- (iii) Department of Defence Production (Raksha Utpadan Vibhag)
 (iv) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag)
 (v) Department of Ex-Servicemen Welfare (Poorva Senani Kalyan Vibhag);
 (B) in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)”,-

(a) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)”,-

(i) for entry 1, following entry shall be substituted, namely: -

“1. Defence of India and every part thereof including defence policy and preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation.”;

(ii) entries 2, 3, 5 and 7 shall be omitted;

(iii) for entry 19, following entry shall be substituted, namely:-

“19. Capital Acquisitions exclusive to the Defence Services.”;

(iv) after entry 20, following entry shall be inserted, namely:-

“21. Institute for Defence Studies and Analysis, National Defence College and any other organisation within the Ministry of Defence whose remit is broader than military matters.”;

(b) after the sub-heading “A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)” and entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

“AA. DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS

(SAINYA KARYA VIBHAG)

1. The Armed Forces of the Union, namely, Army, Navy and Air Force.
2. Integrated Headquarters of the Ministry of Defence comprising of Army Headquarters, Naval Headquarters, Air Headquarters and Defence Staff Headquarters.
3. The Territorial Army.
4. Works relating to Army, Navy and Air Force.
5. Procurement exclusive to the Services except capital acquisitions, as per prevalent rules and procedures.
6. Promoting jointness in procurement, training and staffing for the Services through joint planning and integration of their requirements.
7. Facilitation of restructuring of Military Commands for optimal utilisation of resources by bringing about jointness in operations, including through establishment of joint/theatre commands.
8. Promoting use of indigenous equipment by the Services.”.

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 1/21/17/2019-Cab.]

RACHNA SHAH, Addl. Secy.